



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072021-228075  
CG-DL-E-02072021-228075

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]  
No. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2021/आषाढ़ 11, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

(कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उसकी उप-धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है; नामतः—

1. इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में:-

I. विनियम 6 में, उप-विनियम 4 के खंड (ख) की अनुसूची में तीसरी पंक्ति के स्तंभ 3 और 4 में [शीर्षक- सीधी भर्ती के लिए आयु, योग्यता और अनुभव के तहत] ग्रेड डी, ई तथा एफ और ए, बी और सी के लिए अर्हता (योग्यता) की मौजूदा अपेक्षाएं निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्:-

### अर्हता:

"सामान्य धारा में अधिकारियों के लिए, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, विधि में स्नातक की उपाधि, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि, आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) से एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट (एसीए) या फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफसीए)/इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) [पूर्ववर्ती इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)] से एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (एसीएमए) [पूर्ववर्ती एसोसिएट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (एआईसीडब्ल्यूए)] या फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (एफसीएमए) [पूर्ववर्ती फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (एफआईसीडब्ल्यूए)]/ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) से एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी (एसीएस) या फेलो कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस) / सीएफए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफिसर्स से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए)।

विधिक धारा में अधिकारियों के लिए, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि।

अनुसंधान धारा में अधिकारियों के लिए, सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/व्यवसाय प्रबंधन (वित्त) [बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (फाइनेंस)]/अर्थमिति (एकोनोमैट्रिक्स) में स्नातकोत्तर की उपाधि।

तकनीकी धारा (सूचना प्रणाली) में अधिकारियों के लिए, इंजीनियरिंग (विद्युत (इलेक्ट्रिकल)/ इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूनिकेशंस/ सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साइंस) में स्नातक की उपाधि/कंप्यूटर एप्लिकेशन में मास्टर की उपाधि/ कंप्यूटर में स्नातकोत्तर (जिसकी अवधि कम से कम 2 वर्षों की हो) अर्हता के साथ किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि।"

राजभाषा धारा में अधिकारियों के लिए, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेज़ी सहित हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित संस्कृत/अंग्रेज़ी/ अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि।

वित्त और लेखा धारा में अधिकारियों के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) से एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट (एसीए) या फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफसीए) / इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) [पूर्ववर्ती इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)] से एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (एसीएमए) [पूर्ववर्ती एसोसिएट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (एआईसीडब्ल्यूए)] या फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (एफसीएमए) [पूर्ववर्ती फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (एफआईसीडब्ल्यूए)] / इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) से एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी (एसीएस) या फेलो कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस) / सीएफए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफिसर्स से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए)।"

II. विनियम 6 के उप-विनियम 4 के स्तम्भ 3 की पंक्ति 4 में खंड (ख) [शीर्षक- सीधी भर्ती के लिए आयु, योग्यता और अनुभव के तहत] के तहत अनुसूची में, ग्रेड ए अधिकारियों के लिए योग्यता में, बीमांकिक धारा में शैक्षिक योग्यता को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :

बीमांकिक धारा में अधिकारियों के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और भारतीय बीमांकिक संस्थान (आईएआई) परीक्षा के सभी सात (07) मुख्य सिद्धांत विषयों में/से उत्तीर्ण या मुक्त।

**III. विनियम 38 के उप विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“कर्मचारी को दो वर्षों में एक बार 10 दिनों की न्यूनतम कालावधि और 30 दिनों की अधिकतम कालावधि के लिए साधारण छुट्टी को भुनाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि ऐसे भुनाने के समय कर्मचारी की शेष जमा छुट्टियां इस प्रकार भुनाई गई छुट्टियों से न्यून नहीं होंगी।”

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./133/2021-22]

**पादलेख:**

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 14 मई 2015 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम (प्रथम संशोधन), 2018, भारत के राजपत्र में 31 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम (संशोधन), 2018, भारत के राजपत्र में 28 अप्रैल, 2020 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
4. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम (संशोधन), 2018, भारत के राजपत्र में 24 मार्च, 2021 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2021

**EMPLOYEES' SERVICE (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021**

**No. PFRDA/12/RGL/139/11.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 read with sub – clause (b) of sub – section (2) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act no. 23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015, namely, :-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2021.
  2. These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015:-
- I. In the schedule under clause (b) of sub-regulation 4 of Regulation 6, in column 3 of row 3 and 4 [under heading- Age, Qualification & Experience for Direct recruits], for qualification for Grade D, E & F and A, B & C, the existing educational qualification (Qualification) shall be substituted as follows:

**Qualification:**

“Master's Degree in any discipline, Bachelor's Degree in Law, Bachelor's Degree in Engineering from a recognized university, Associate Chartered Accountant (ACA) or Fellow Chartered Accountant (FCA) from ICAI (Institute of Chartered Accountants of India)/ Associate Cost and Management Accountant (ACMA) [erstwhile Associate of Institute of Cost & Works Accountant of India (AICWA)] or Fellow Cost and Management Accountant (FCMA) [erstwhile Fellow of Institute of Cost & Works Accountant of India (FICWA)] from Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) [erstwhile Institute of Cost & Works Accountants of India

(ICWAI)] / Associate Company Secretary (ACS) or Fellow Company Secretary (FCS) from Institute of Company Secretaries of India (ICSI) / Chartered Financial Analyst (CFA) from CFA Institute for officers in the General Stream.

Bachelor's Degree in Law from a recognized university/Institute for officers in the Legal Stream.

Master's Degree in Statistics/Economics/Commerce/Business Administration (Finance)/Econometrics for officers in the Research Stream.

Bachelor's Degree in Engineering (electrical /electronics and communication /information technology/computer science)/Masters in Computer Application / Bachelor's Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum 2 years duration) in computers/information technology for officers in Technical Stream (Information System).

Master's Degree in Hindi with English as one of the subjects at Bachelor's Degree level or Master's Degree in Sanskrit/English/Economics/Commerce with Hindi as a subject at Bachelor's Degree level from a recognised University/Institute for officers in the Rajbhasha (Official Language) Stream.

Graduation from a recognized university and Associate Chartered Accountant (ACA) or Fellow Chartered Accountant (FCA) from ICAI (Institute of Chartered Accountants of India)/ Associate Cost and Management Accountant (ACMA) [erstwhile Associate of Institute of Cost & Works Accountant of India (AICWA)] or Fellow Cost and Management Accountant (FCMA) [erstwhile Fellow of Institute of Cost & Works Accountant of India (FICWA)] from Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) [erstwhile Institute of Cost & Works Accountants of India (ICWAI)] / Associate Company Secretary (ACS) or Fellow Company Secretary (FCS) from Institute of Company Secretaries of India (ICSI) / Chartered Financial Analyst (CFA) from CFA Institute for officers in the Finance & Accounts Stream".

- II. In the schedule under clause (b) of sub-regulation 4 of Regulation 6, in column 3 of row 4 [under heading – Age, Qualification & Experience for Direct Recruits], for qualification for Grade A, the educational qualification (Qualification) for Actuarial Stream shall be inserted as follows:

**Qualification:**

Graduation from a recognized university and Pass or exemption in all Seven (07) 'Core Principles' subjects of the Institute of Actuaries of India (IAI) Examination for officers in the Actuarial Stream.

- III. The sub regulation (1) of Regulation 38 shall be substituted as follows:

“An employee may be permitted to encash ordinary leave once in two years for a minimum period of 10 days and a maximum period of 30 days.

Provided that at the time of such encashment the employee has to his credit a balance of leave which shall not be less than the leave so encashed”.

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, CHAIRPERSON

[ADVT.-III/4/Exty./133/2021-22]

**Footnote:**

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 14<sup>th</sup> May, 2015 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (First Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 31<sup>st</sup> October, 2018 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 28<sup>th</sup> April, 2020 *vide* Notification No. PFRDA/ 12/RGL/139/11.
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 24<sup>th</sup> March 2021 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.